भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 1955

(जिसका उत्तर मंगलवार, 15 मार्च, 2016 को दिया गया)

<u>कारपोरेट निकायों के सामाजिक दायित्व</u>

1955. श्री शान्ताराम नायक :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पंजीकृत कारपोरेट निकायों के लिए कतिपय सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना अनिवार्य है;

(ख) कानून के किन उपबंधों के अंतर्गत उनके लिए इन दायित्वों का निर्वहन करना अनिवार्य है;

(ग) कारपोरेट निकायों की आय का कितना प्रतिशत इस प्रयोजन हेतु आरक्षित रखा जाता है;

(घ) भारत सरकार की कौन सी संस्था इस दायित्व की निगरानी करती है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए आकलन का सार क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क) से (ड.): जी, हां। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में प्रत्येक कंपनी का टर्नओवर या निवल मूल्य या निवल लाभ विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक होने पर पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कमाए गए औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर व्यय करने का प्रावधान है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय कंपनी अधिनियम के प्रशासन और कंपनियों द्वारा इन उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। 460 सूचीबद्ध कंपनियों, जिन्होंने अपनी वेबसाइटों पर सीएसआर डाटा रखे हैं का सीएसआर व्यय का आकलन यह दर्शाता है कि 51 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और 409 निजी क्षेत्र की कंपनियों, दोनों ने वर्ष 2014-15 के दौरान लगभग 6337 करोड़ रुपए सीएसआर पर व्यय किए हैं।

*****